न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – राजेश सुवालका, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45 / 2019
दायर दिनांक :– 26 / 06 / 2019
निर्णय दिनांक :– 03 / 09 / 2024

अनवान

1.मोहन पिता प्रताप धोबी निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1.शंकरलाल पिता लेहरू धोबी निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

2.हरिश कुमार पिता डालचन्द धोबी निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री सुरेश चन्द चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – श्री रोशनलाल साहू, अधिवक्ता

दिनांक :– 03 / 09 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– : : निर्णय : : –

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, के प्रस्तुत किया कि ग्राम जीतावास तहसील रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 1952 / 1409 रकबा 1–10 एक बीघा 10 बिश्वा स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। प्रार्थी की आराजी संख्या 1952 / 1409 के पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1420 स्थित है। विपक्षी की आराजी संख्या 1420 के उतरी दिशा में बिलानाम गैर काबिल रास्ता जिसके आराजी नम्बर 1421 स्थित है जो रास्ता जीतावास से रेलमगरा जाने वाली सड़क से निकलकर विपक्षीगण की आराजी तक सीमित है। प्रमाण में जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति पेश है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1952 / 1409 में आने जाने हल, बैल गाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जानें एवं काश्त करने हेतु गांव जीतावास से रेलमगरा जाने वाली मुख्य सड़क से होकर प्रार्थी के खेत की ओर जाने वाले रास्ते आराज़ी संख्या 1421 है से होकर विपक्षी की आराजी संख्या 1420 में प्रवेश करते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उतरी पाली के सहारे –सहारे होकर अपनी आराजी संख्या 1952 / 1409 में प्रवेश की रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर निर्विध्न रूप से साधिकापूर्वक करता चला आ रहा था।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

जीतावास से रेलमगरा जाने वाली सड़क से प्रार्थी की खेत की तरफ पश्चिम दिशा में जाने वाला रास्ता विपक्षीगण की आराजी तक ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विपक्षी की आराजी में से होकर जाने वाला रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण के मन में प्रार्थी के प्रति बद्यान्ति उत्पन्न हो गई और विपक्षीगण के उतरी पाली से होकर जाने वाला रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर जबरन प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित कर रहे है। तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी संख्या 1952/1409 के उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते है। तथा प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को जबरन बंद कर दिया है व हांककर फसल इत्यादि काश्त कर देते है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में आए दिन भारी व्यवधान कारित करता रहता है जिसे प्रार्थी अपने खेतों की हकाई बुआई नहीं कर पा रहा है। तथा विपक्षीगण कहते है कि रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मेरे खेत में से होकर नहीं जाने देगें। जबकि प्रार्थी के खेत में जाने का यही एक मात्र नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु गांव जीतावास से रेलमगरा जाने वाली मुख्य सड़क से होकर प्रार्थी के खेत की ओर जाने वाले रास्ते जिसके आराजी नम्बर 1421 है से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1420 में प्रवेश करते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उतरी पाली के सहार सहारे होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में प्रवेश करता है जो उक्त रास्ता 13 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। न्यायालय आप द्वारा उक्त रास्ते के एवज में उक्त 13 फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाईके रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसे प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। उक्त रास्ते को प्रार्थी प्रार्थना पत्र की काल्म संख्या 3 तीन में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेश में रास्ते के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यकता है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थी उक्त रास्ते में से होंकर अपनी गैहूं की फसल को लेजाने लगा तो विपक्षी ने उक्त रास्ते को थुहर,बाड़ लगाकर बंद कर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा प्रार्थी को उसकी आराजी में आने जाने एवं हल बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर एवं खेत की पैदावार लाने व लेजाने हेतु विपक्षीगण द्वारा उनकी आराजी के उतरी पाली के सहारे विद्यमान से रास्ते होकर गुजरने से मना कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हल बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु गांव जीतावास से रेलमगरा जाने वाली मुख्य सड़क से होकर प्रार्थी के खेत की ओर जाने वाले

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

रास्ते जिसकी आराजी संख्या 1421 है, से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1420 में प्रवेश करते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उतरी पाली के सहारे सहारे प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में प्रवेश करता है, जो उक्त रास्ता 13 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई में रास्ता विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश फरमावें। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात् उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेश में इन्द्राज कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 के विवरण में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 1952/1409 रकबा 1.10 एक बीघा 10 बिश्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी रूप में दर्ज होकर सही वर्णित किया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में आराजी संख्या 1409 के पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 420 स्थित है, किन्तु विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 420 के उतरी दिशा में कोई भी बिलानाम गैर काबिल रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी ने उक्त तथ्य मिथ्या वर्णित किये है जबकि बिलानाम गैर काबिल रास्ता आराजी संख्या 1421 मुख्य सड़क से आराजी संख्या 1422 की सीमा के सरवेले में सड़क से पश्चिमि ओर प्रवेश करते हुए उसी आराजी संख्या 1422 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1420 के उतर पूर्वी होने तक आता है तथा वहीं रास्ता आराजी संख्या 1421 का उपयोग उपभोग आराजी संख्या 1422 के खातेदार एवं विपक्षीगण स्वयं अपनी आराजी संख्या 1420 के उपयोग उपभोग के लिये करते चले आ रहे है जो स्थिति राजस्व रेकार्ड के नक्शे से भी स्पष्ट है। आराजी संख्या 1420 में किसी भी तरह का कोई भी रास्ता न तो मौजूद था एवं न ही वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थी ने उक्त तथ्य मिथ्या वर्णित किए है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने के लिये विपक्षी की आराजी संख्या 1420 में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये मौजूद नहीं है। बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 1421 जो मौजूद है वह रास्ता आराजी संख्या 1422 कीं भूमि का ही भाग होकर उक्त रास्ता आराजी संख्या 1422 व विपक्षी की आराजी संख्या 1420 में आवागमन के लिये ही उपयोग में लिया जाता रहा है। आराजी संख्या 1409 के लिये रास्ता प्रार्थी एवं उसके भाई स्व0 सोहन जिसके वर्तमान के वारिस कैलाश,राजमल,पुष्पा, नोजी पिता सोहन व हगामी पति स्व0 सोहन की भूमियों आराजी संख्या 1413 व 1413 तथा आराजी संख्या 1954/1410, 1953/1410 से होता हुआ प्रार्थी एवं उसके भाई स्व0 सोहन की आराजी संख्या 1409 में आसानी से आना जाना हो सकता है। तथा वहीं पुराना रास्ता प्रार्थी एवं उनके भाई का मौजूद है। जो रास्ता वर्षो पुराना होकर जीवाखेड़ा से जीतावास जाने वाले मुख्य रास्ते से मिलता हुआ होकर जीवाखेड़ा की सरहद के सटमा आराजी संख्या 1413 से प्रवेश होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 1409 में आने जाने के लिये पर्याप्त रास्ता मौजूद है।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

जिनके बीच में सारी भूमियां प्रार्थी स्वयं एवं इनके भाई स्व0 सोहन के वारिसान के खातेदारी की मौजूद है। फिर भी जानबुझकर विपक्षी को जलील व परेशान करने की नियत से झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलमं संख्या 04 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में बिलानाम रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की पूर्वी पाली की सीधे में उतर पूर्वी होने तक आराजी संख्या 1422 की भूमि में ही स्थित है जो उसी सरवेले में अगर आराजी संख्या 1421 बिलानाम रास्ते को आराजी संख्या 1409 तक भी बढ़ाया जावें तो वह रास्ता आराजी संख्या 1422 की भूमि में ही आता है जो स्थित नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट है फिर भी जानबुझकर आराजी संख्या 1422 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना विपक्षीगण वृद्ध व्यक्तियों को परेशान करने व जलील करने के आशय से नक्शा ट्रेस से भिन्न स्थिति बताकर गलत प्रार्थना करते हुए आराजी संख्या 1420 से रास्ते की मांग की गई है जो अनुचित होने से किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही जहां अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी स्वयं की एवं उसके सगे भाई की भूमि में से उपलब्ध होता हो वहां अन्य खातेदार की भूमि से रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आवागमन के लिये समुचित रास्ता उपलब्ध है तथा निरन्तर उक्त आराजी को प्रार्थी द्वारा काश्त की जाती रही है। प्रार्थी ने झूंठे आधारों पर गलत तरिके से विपक्षी वृद्धजनो को परेशान करने एवं उनकी भूमियां हड़पने की मंशा से गलत अभिवचन कर झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रार्थी स्वयं एवं उसके भाई सोहनलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर भी उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त प्रार्थी को समुचित अनुतोष प्रदान किया गया एवं मौके की स्थिति भीं स्पष्ट की गयी जिसकी पालना अब तक विपक्षीगण एवं प्रार्थी स्वयं द्वारा की जाती रही है। जिसमें अब तक कोई विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पुनः नये सीरे से उसी रास्ते को लेकर पुनः कार्यवाही आरंभ करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि जहां पर पूर्व निर्णय के अनुसार समुचित अनुतोष उपलब्ध है वहां उसी वाद विषय को लेकर नया मामला संस्थित नहीं कराया जा सकता है। उक्त मामला पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी विधि में वर्जित है। जिससे भी प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है एवं न ही प्रार्थी को कोई हेतुक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी एवं इसके भाई संयुक्त खातेदार की ओर से पूर्व में ही इसी रास्ते को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया एवं उसका निर्णय हो चुका है। तथा उसी निर्णय की पालना में प्रार्थी अपनी आराजी की काश्त आसानी से करता चला आ रहा है तो अलग से नये रास्ते की मांग पूर्व निर्णय के विपरित नहीं कर सकता है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या के आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं द्वारा पूर्व निर्णय की पालना में अपनी आराजी की काश्त की जाती रही है तथा उस निर्णय की पालना विपक्षी भी करते चले आ रहे है फिर भी अगर प्रार्थी को नये रास्ते की आवश्यकता भी है तो वह अपने स्वयं की एवं उसके भाई की आराजियात जो कि जीवाखेड़ा की सीमा के सटमा आराजी संख्या 1413,1412 व 1410 में से होकर आराजी संख्या 1409 में आसानी से आवागमन के लिये काम में लिया जा सकता है जो रास्ता संयुक्त आ0चाह संख्या 1415 की छूट में से होकर आराजी संख्या 1409 के दक्षिणी पूर्वी कोने में प्रविष्ठ करता है। जो रास्ता थला वाले रास्ते के रूप में जाना पहचाना जाना जाता है। जहां से वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध किया जा सकता है जो स्वयं की भूमि है तो ऐसी स्थिति में अन्य खातेदारान् की भूमि से नये रास्ते की मांग की जानी न्यायायेचित नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से खारिज होने योग्य है क्योंकि इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक भी उत्पनन नहीं होता है तथा बिना वाद कारण के प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण कानुनी होकर जांच से संबंधित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 का विवरण कानुनी होकर जांच से संबंधित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 प्रार्थना है जो गलत व झूंठे तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार होने योग्य नहीं है। बल्कि उक्त अनुतोष अस्वीकार होने योग्य होकर संपूर्ण प्रार्थना पत्र ही खारिज होने योग्य है। विशेष जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा न्यायायलय के समक्ष तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्यों कि पूर्व में प्रार्थी एवं उसके भाई दोनों संयुक्त खातेदार ने विपक्षीगण के विरूद्ध इसी रास्ते को लेकर धारा 251 धारा आर0टी0ए0 का प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष पेश कर दिया गया जिसमें न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त दिनांक 16.03.2012 को निस्तारित कर दिया जिसकी पालना उभय पक्षकारान् द्वारा की जाती रही है तो उसी विषय वस्तु को लेकर नये मामले को नहीं सुना जा सकता है। यह मामला पूर्व न्याय से प्रतिबंधित है। प्रार्थी ने सही तथ्यों को छिपाया है। प्रथम तो बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 1421 का नक्शा ट्रेश के अनुसार अवलोकन भी करें तो वह रास्ता आराजी संख्या 1422 के दक्षिणी भाग में स्थित होकर उसी सरवेलें में आगे आराजी संख्या 1409 के उतर पूर्वी कोने की सीध के सरवेले में सष्ट दिखायी देता है। जिससे भी प्रार्थी वांछित अनुतोष अगर चाहे तो आराजी संख्या 1422 के खातेदार से प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही प्रार्थी स्वयं की अन्य आराजियात् थला वाले रास्ते के सटमा मौजूद है तो उस रास्ते से भी प्रार्थी आवागमन कर सकता है। जिससे भी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा से बाद जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 के अनुसार आवेदन द्वारा मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। आवेदक के खेत में जाने के लिए वैल्पिक रास्ता मौजूद नही है। आवेदन के खेत के आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उत्तरी पाली के सहारे–सहारे 13 फिट चौडा व सम्पूर्ण लम्बाई का रास्ता चाहा गया है जो निकटतम रास्ता है। इस प्रस्तावित रास्ते के मध्य में आराजी संख्या 1420 में

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

एक बंबुल का पेड है जिसकी अनुमानित लागत 2000/– रूपये है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 22 गट्टा व चौडाई 02 गट्टा अर्थात् 00–02 बीघा रकवा प्रभावित होगा। यह रास्ता आराजी संख्या 1420 की उत्तरी पाली में होगा।

अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस सुनी गयी। दौराने वहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हल, वैल गाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जानें एवं काश्त करने हेतु गांव जीतावास से रेलमगरा जाने वाली मुख्य सड़क से होकर प्रार्थी के खेत की ओर जाने वाले रास्ते आराजी संख्या 1421 है से होकर विपक्षी की आराजी संख्या 1420 में प्रवेश करते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उतरी पाली के सहारे –सहारे होकर अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में प्रवेश की रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल, वैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो, से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर निर्विध्न रूप से साधिकापूर्वक करता चला आ रहा था। इसके खण्डन में विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए जाहिर किया कि आराजी संख्या 1420 में किसी भी तरह का कोई भी रास्ता न तो मौजूद था एवं न ही वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थी द्वारा न्यायायलय के समक्ष तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्यों कि पूर्व में प्रार्थी एवं उसके भाई दोनों संयुक्त खातेदार ने विपक्षीगण के विरूद्ध इसी रास्ते को लेकर धारा 251 धारा आर0टी0ए0 का प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष पेश कर दिया गया जिसमें न्यायालय द्वारा उभय पक्ष कों सुनने के उपरान्त दिनांक 16.03.2012 को निस्तारित कर दिया जिसकी पालना उभय पक्षकारान् द्वारा की जाती रही है तो उसी विषय वस्तु को लेकर नये मामले को नहीं सुना जा सकता है। यह मामला पूर्व न्याय से प्रतिबंधित है। प्रार्थी ने सही तथ्यों को छिपाया है। प्रथम तो विलानाम रास्ता आराजी संख्या 1421 का नक्शा ट्रेश के अनुसार अवलोकन भी करें तो वह रास्ता आराजी संख्या 1422 के दक्षिणी भाग में स्थित होकर उसी सरवेले में आगे आराजी संख्या 1409 के उतर पूर्वी कोने की सीध के सरवेले में सप्ष्ट दिखायी देता है। जिससे भी प्रार्थी वांछित अनुतोष अगर चाहे तो आराजी संख्या 1422 के खातेदार से प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही प्रार्थी स्वयं की अन्य आराजियात् थला वाले रास्ते के सटमा मौजूद है तो उस रास्ते से भी प्रार्थी आवागमन कर सकता है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की वहस पर चिन्तन व मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो रास्ता चाहा गया वह रास्ता नितान्त आवश्यक है। आवेदक के खेत में जाने के लिए वैल्पिक रास्ता मौजूद नही है। आवेदन के खेत के आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1420 की उत्तरी पाली के सहारे–सहारे 13 फिट चौडा व सम्पूर्ण लम्बाई का रास्ता चाहा गया है जो निकटतम रास्ता है। इस प्रस्तावित रास्ते के मध्य में आराजी संख्या 1420 में एक बंबुल का पेड है

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

जिसकी अनुमानित लागत 2000/– रूपये है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 22 गट्टा व चौडाई 02 गट्टा अर्थात् 00–02 बीघा रकबा प्रभावित होगा। यह रास्ता आराजी संख्या 1420 की उत्तरी पाली में होगा तथा न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा के प्रकरण 251 धारा आर0टी0ए0 निर्णय दिनांक 16.03. 2012 का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी पूर्व में उक्त प्रस्तावित रास्तें को ही अवरूद्ध नही किये जाने के आदेश दिये गये थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल रहा है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम जीतावास स्थित प्रार्थी की अपनी आराजी संख्या 1952/1409 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1420 में से तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार जिसका क्षैत्रफल 00–02 बीघा भूमि को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रेलमगरा नियमानुसार गणना की जाकर विपक्षीगण के उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित कमी रकबे की नियमानुसार प्रचलित डी0एल0सी की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर नियमानुसार विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार अदा करें तथा प्रस्तावित रास्ते पर स्थित वृक्षों की नियमानुसार राशि तहसीलदार प्रार्थी से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा